न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास -- श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 28/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
रामकरण पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी सुरपालिया तहसील जायल।		नायब तहसीलदार, डेह।

उपस्थिति :-

1. श्री भंवरलाल गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश दिनांकः 20.02.18

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 76/2011 सरकार बनाम रामकरण में निर्णय दिनांक 28.10.14 के तहत मौजा सुरपालिया के खसरा नं. 211 गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 25.03.15 को प्रस्तुत की गई। जो अपील सं. 23/15 रामकरण बनाम सरकार दिनांक 17.06.15 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई, जिसे रेस्टोरेशन को लेकर यह प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.15 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 03.08.15 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र की प्रति अप्रार्थी के अधिवक्ता को दी गई। मूल पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि उक्त अपील में पेशी दिनांक 17.06.15 को नियत थी। मुझ अधिवक्ता अन्य अदालत में आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण मजबूरीवश उक्त प्रकरण में न्यायालय में उपस्थित नही आ सका। जिससे अपील अदम हाजरी अदम पैरवी के खारिज कर दी गई। मुझ अधिवक्ता जानबूझकर अनुपस्थित नही रहा था, अनुपस्थिति का माकूल व पर्याप्त कारण रहा है। जिससे न्याय हित में अपील रेस्टोर कर नंबर पर लिया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

{3}-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि प्रार्थी के अधिवक्ता पैरवी हेतु उपस्थित नही होने पर ही आदेश जैर अपील पारित हुआ है। जो विधि सम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}-उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में दिनांक 17.06.15 को न्यायालय सुनवाई में मजबूरीवश उपस्थित नही होना स्वीकार किया गया है तथा अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः न्याय की दृष्टि से रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.15 स्वीकार कर मूल अपील सं. 23/15 रामकरण बनाम नायब तहसीलदार डेह में पारित आदेश दिनांक 17.6.15 निरस्त कर प्रकरण पुनः रेस्टोर किया जाता है।

{6}- आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर